Shodh Sangam Patrika
ISSN: 3049-0707 Volume 2 | Issue 1 | (Jan – Mar 2025)

शिक्षा का अधिकार और समाज में जागरूकता

अर्चना कुशवाहा
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

"राष्ट्र का पहला कर्तव्य है कि वह राष्ट्र को शिक्षित करे, यहाँ तक कि सामाजिक सुधार के लिए भी पहला कर्तव्य लोगो को शिक्षित करना है।"

विवेकानंद

प्रस्तुत शोध पत्र शिक्षा का अधिकार और समाज में जागरूकता की आवश्यकता, समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर का अध्ययन करता है। अपने शोध बिषय से सम्बंधित डाटा संग्रहण करने के लिए वाराणसी जिले के राजातालाब क्षेत्र व उसके आसपास के रहने वाले लोगों को चुना गया है। प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता का के स्तर का पता लगाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा, किसी भी राष्ट्र या समाज में उसके प्राणतत्व की तरह होती है, शिक्षा के माध्यम से ही कोई भी राष्ट्र या समाज सभ्य बनकर उन्नति के मार्ग पर खुद को प्रशस्त करता है। किंतु आज भी भारतीय समाज के ज्यादातर भागों में शिक्षा के लिए उतनी जागरूकता नहीं देखने को मिलती है जितनी की आवश्यकता है। भारत में **1 अप्रैल 2010** से शिक्षा को, एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। जिसके तहत प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य किया गया है। जिससे समाज का कोई भी बच्चा अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए।

शिक्षा के अधिकार को लागू हुए आज लगभग 15 साल हो गए हैं और शिक्षा का स्तर में भी काफी सुधार देखने को मिला है, किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी आज भी, अत्यंत ही सीमित स्तर तक ही देखने को मिलती है। वैसे लोग जो इस अधिनियम का लाभ उठा रहे हैं उनमें भी इसे लेकर कोई खास जानकारी या जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। वह सिर्फ इतना जानते हैं कि सरकार द्वारा यह सुविधा मुफ्त में दी जा रही है जिसका उन्हें लाभ लेना है। किंतु उन्हें इस बात को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई भी सुविधा उन्हें क्यों दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, या कब तक दी जाएगी। अपने इसी अज्ञानता और जागरूकता में कमी के कारण ज्यादातर लोग सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का वह पूर्णता लाभ भी नहीं ले पाते हैं। प्रस्तुत शोध शिक्षा का अधिकार और समाज में जागरूकता इसी विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षा के प्रति कम जागरूकता के कारणो का पता लगाने का प्रयास करते हुए संभावित उपायों को प्रस्तुत करती है।

मुख्य शब्द : शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता, शिक्षा के प्रति उदासीनता।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी विकसित समाज का मूल आधार होती है। कोई भी देश जब अपने विकास की योजना बना रहा होता है तो, वह शिक्षा और उस पर शिक्षा से पड़ने वाले प्रभाव को अनदेखा नहीं कर सकता। वास्तव में, एक तरफ शिक्षा आर्थिक विकास को गति देने का कार्य करती है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को सभ्य, तार्किक, कौशल प्रधान तथा तर्कसंगत व्यवहार करने लायक बनाती है। साथ ही शिक्षा समाज की उन कुरीतियों को भी दूर करने में सफलता से कार्य करती है, जो किसी समाज में, किसी मनुष्य या समुदाय के प्रति नैतिक दृष्टि से सही ना हो, या अनुचित व्यवहार को दर्शाती हो।

शिक्षा की इन गुणों और आवयश्कता को देखते हुए ही विश्व के 135 देशों, जैसे- लैटिन अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे, इटली, ब्रिटेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड आदि ने शिक्षा को बुनियादी स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य बनाया है। भारत ने भी शिक्षा कि आवश्यकता को मेहसूस करके अपने संविधान में **86 वाँ संवैधानिक संशोधन** करके, **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा** को अधिनियम के माध्यम से **1 अप्रैल 2010** को पूरे भारतवर्ष में लागू किया। और शिक्षा को, एक मूल अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए खुद को उन 135 देशों के समूह में शामिल कर लिया जहाँ पर शिक्षा को एक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू हुए भारत में लगभग 15 साल से अधिक हो चुके हैं, किंतु समाज में शिक्षा की इस अधिकार को लेकर जागरूकता और जानकारी दोनों ही ना के बराबर है। अधिकांश लोगों को इस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी ही नहीं है, वे सिर्फ इतना जानते हैं कि यदि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकार द्वारा उनके बच्चों को किताबें, ड्रेस और मध्यान भोजन मुफ्त में मिल जाएगा। वास्तव में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों की उन्हें जानकारी ही नहीं है। और जिन्हें जानकारी है वह भी, इस अधिनियम के बारे में सिर्फ नाम या एक - दो प्रावधानों से अधिक की जानकारी नहीं रखते हैं। परिणामत: पात्र होते हुए भी अधिकांश जनता अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रह जाती है। इसके साथ ही यह जागरूकता की कमी शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती है।

साहित्य समीक्षा

किसी भी शोध विषय पर आगे बढ़ने से पहले उस विषय से संबंधित शोध पत्रों और पुस्तकों का अध्ययन कर लेना शोध की प्रासंगिकता को और अधिक बढ़ा देता है। अतः शोध पत्रों व पुस्तकों का पुनरावलोकन आवश्यक हो जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं समाज में जागरूकता संबंधी कुछ शोध पत्र एवं पुस्तक इस प्रकार हैं –

डॉक्टर कल्पना यादव (2018) शिक्षा व समाज में अंतर संबंध चुनौतियां व संभावनाएं में लिखती हैं की शिक्षा को नेतृत्व की आवश्यकता है, जिससे वह समाज की कमियों बुराइयों और मूलभूत आवश्यकता की पहचान करके उसे पर नई सोच नई प्रणाली से योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करें। साथ ही वह आगे लिखती हैं कि शिक्षा को प्रशासनिक अधिकारियों व राजनेताओं के दबाव से मुक्त होना चाहिए, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ना चाहिए, शिक्षा के व्यवसायीकारण को रोकना चाहिए, और साथ ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे समाज में बदलाव आ सके और समाज का विकास हो सके।

डॉ विजय शिंदे (2014) शिक्षा एवं समाज नामक अपने लेख में लिखते हैं, शिक्षा और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा और समाज एक दूसरे पर अन्यायोश्रित है। जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज होगा और जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। समाज और शिक्षा को अलग-अलग समझना या महत्व देना शिक्षा और समाज दोनों को ही अंधकार की ओर ले जाएगा। वास्तव में, समाज को अपने विकास, अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्व का भान होना चाहिए। शिक्षा में जो नवाचार, नए विचार सामने आ रहे हैं उनके साथ समाज को जागरूक होने और तालमेल बिठाने की आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बारे में समाज में कितनी जागरूकता और समझ है, इसका पता लगाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के के लिए निम्न प्रश्नों को आधार बनाया जाएगा -

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में कितने लोग जानकारी रखते हैं?
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में लोगों के जानकारी का स्तर क्या है?

3. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमके तहत जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके प्रति लोग कितने जागरूक हैं?
4. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में कमी के कारणो का पता लगाना।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन वाराणसी जिले के राजातालाब क्षेत्र के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। राजातालाब में लगभग 437 गाँव स्थित है। यह क्षेत्र वाराणसी मुख्यालय से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण यह शोध विषय "शिक्षा का अधिकार एवं समाज में जागरूकता की आवश्यकता" के अध्ययन क्षेत्र के रूप में ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश के मिश्रित व्यवहार को प्रदर्शित करता है।

शोध विधि

प्राथमिक स्रोत : प्रस्तुत शोध के लिए प्राथमिक स्रोतों और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत साक्षात्कार व अनुसूची विधि का प्रयोग करके आंकड़ों का संकलन करने का प्रयास किया गया है। जिसके लिए लगभग 300 व्यक्तियों से वार्तालाप किया गया तथा प्रश्नों के माध्यम से उनके विचारों और जागरूकता के स्तर को जानने का प्रयास किया गया है।

द्वितीय स्रोत : इसके लिए विभिन्न पत्र- पत्रिकाओं, पुस्तकों और समाचार पत्रों का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण

शिक्षा का अधिकार एवं समाज में जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए लगभग 300 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के दौरान उनसे निम्न प्रश्न पूछे गए जैसे - क्या आप शिक्षा के अधिकार के बारे में जानते हैं?, क्या आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं? अगर हां, तो वह किस तरह की स्कूल में पढ़ाई करते हैं, निजी स्कूल या सरकारी स्कूल?, नीचे स्कूलों में 25% तक गरीब बच्चों को आरक्षण प्राप्त है क्या इसकी जानकारी आपको है?, सरकार द्वारा शिक्षा के लिए चलाई जा रही किसी और योजना की जानकारी आपको है?, आपको शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आदि । सभी प्रश्नों के बाद उत्तरदाताओ के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त हुए उसे निम्न तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है –

तालिका 1. शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता

क्रम संख्या	संख्या	हाँ	हाँ%	नहीं	नहीं %
पुरुष	160	40	25.00%	120	75.00%
महिला	140	15	10.71%	125	89.28%
कुल	300	55	18.33%	245	81.66%

स्रोत : (प्राथमिक डाटा)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अधिकार के बारे में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जागरूकता थोड़ी ज्यादा है। जहां 25 प्रतिशत पुरुष शिक्षा के अधिकार की जानकारी रखते हैं, वही मात्र 10% महिलाएं शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी रखती हैं। अगर कल महिला और पुरुष को मिलकर बात करें तो, सिर्फ 18.33% जनता ही इस बारे में जानकारी रखती है। और 81.66% लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम बारे में जानकारी नहीं रखते हैं।

तालिका 2. निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था के प्रति जागरूकता

क्रम संख्या	संख्या	हाँ	हाँ%	नहीं	नहीं %

पुरुष	160	20	12.05%	140	87.05%
महिला	140	10	7.14%	130	92.82%
कुल	300	30	10.00%	270	90.00%

स्त्रोत: (प्राथमिक डाटा)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और इन बच्चों के शिक्षा पर व्यय होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है, इसकी जानकारी पुरुषों में 12.5% और महिलाओं में 7.14%है। जबकि 87.5% पुरुष और 92.82% महिलाएं इसके प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अगर महिला और पुरुष को मिलाकर बात करें तो लगभग 90% लोगों को इसके प्रावधानों की जानकारी नहीं है।

तालिका 3. सरकार द्वारा शिक्षा के लिए चलाई जा रही किसी और योजना की जानकारी

क्रम संख्या	संख्या	हाँ	हाँ%	नहीं	नहीं %
पुरुष	160	50	31.25	110	68.75
महिला	140	40	28.57	100	71.42
कुल	300	90	30.00	210	70.00

स्त्रोत (प्राथमिक डाटा)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है की शिक्षा के प्रचार के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्य किसी योजना के बारे में सिर्फ 31.25% पुरुष ही जागरुक है, और 28.57% महिलाएं ही इसकी जानकारी रखती हैं। जबकि जबकि 68.75% पुरुषों को और 71.42 % महिलाएं जानकारी नहीं है। अगर महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर बात करें तो लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संबंधी किसी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं।

तालिका 5. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का स्थान

क्रम संख्या	संख्या	समाचार पत्र	समाचार पत्र %	टेलीविजन	टेलीविजन %	स्कूल	स्कूल %
पुरुष	160	80	50.00%	50	31.25%	30	18.75%
महिला	140	60	42.09%	45	32.14%	35	25.00%
कुल	300	140	46.66%	95	31.66%	65	21.66%

स्त्रोत : (प्राथमिक डाटा)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना की जानकारी ज्यादातर समाचार पत्रों द्वारा ही लोगों तक पहुंचती है। अगर तालिका को देखें तो लगभग 50% पुरुष इस जानकारी को समाचार पत्रों से प्राप्त करते हैं। वही 42.09% महिलाएं समाचार पत्रों से इस जानकारी को प्राप्त करती हैं। टेलीविजन के माध्यम से 31% पुरुष और लगभग 32% महिलाएं जानकारी प्राप्त करती हैं। किसी योजना के बारे में जानकारी स्कूल के माध्यम से पुरुषों को मात्र 18.75 प्रतिशत प्राप्त होता है, वही 25% महिलाएं स्कूलों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं। अगर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जानकारी का प्रतिशत देखें तो 46.66% समाचार पत्रों से 31.66% टेलीविजन से और 21.66% स्कूलों से जानकारी लोगों तक पहुंचती है।

सुझाव

सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का व्यापक प्रसार प्रचार आम जनता में हो और जनता उसे योजना के प्रति अच्छी समझ और जागरूकता रख पाए इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत है-

1. शिक्षा के महत्व के बारे में आम लोगों को जागरूक करना चाहिए।
2. शिक्षा संबंधी किसी भी योजना के प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
3. प्रत्येक स्कूल में योजनाओं के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही स्कूल की किसी एक भाग पर योजनाओं संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिससे वहाँ आने वाले कोई भी बच्चे या अभिभावक उसे पढ़कर जागरूक हो सके।
4. समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर योजनाओं के बारे में सरल भाषा में विज्ञापन या प्रचार करना चाहिए।
5. योजनाओं के प्रचार और प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि समाज में शिक्षा के अधिकार को लेकर जागरूकता और समझ की अत्यंत ही कमी है। वास्तव में, वे लोग भी जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, वह भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सटीक जानकारी नहीं रखते। कारणो की बात करें तो योजनाएं कब शुरू होती हैं और कब समाप्त हो जाती हैं, योजनाओं के अंतर्गत किस-किस तरह की सुविधा प्रदान की जाती हैं, इन सब की जानकारी आम जनता के पास आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। योजनाओं के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध होती है वह किसी व्यक्ति विशेष को मिले, किसी खास तरह की सुविधा को देखकर, उन्हें भी वह सुविधा किसी तरह मिल जाए के ज्ञान तक ही सीमित रहती है। यद्यपि इन कारणों के होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व के मुकाबले काफी प्रगति देखने को मिलती है। बस आवश्यकता है, समाज को और अधिक समझ विकसित करने की और जागरूक बनने की।

संदर्भ ग्रंथ :

1. पाठक के.पी.,(2010), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्या, अग्रवाल पब्लिकेशन, पेज नं 284
2. यादव, डॉ.कल्पना, (2018) शिक्षा व समाज में अंतर्संबंध चुनौतियों व संभावनाएं, इंटरनेशनल जनरल ओफ इन्नोवेटिव रिसर्च स्टडीज, वाल्युय 6, https://www.csirs.org.in
3. शिंदे,डॉ.विजय,(अप्रैल 2014) शिक्षा व समाज,रिसर्च फ्रान्ट, वॉल्यूम 12, https://www.researchgate.net
4. Why is education important? The power of an educated society (4 Oct 202) https://unity.Edu
5. Upefapb, RTE (right to education) https://www.samagrashikshaup.in
6. Indian Village Directory https://www.vieevillage.in
7. जागरण, (25 अप्रैल 2017), शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरुकता जरूरी, मधुबनी https://www.jagaran.com
8. भास्कर, सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, https://www.bhaskar.com
9. हिंदुस्तान, (2 अप्रैल 2010), शिक्षा के अधिकार देने वाले 135 देश की सूची में भारत , https://www.livehindustan.com
10. जागरण, (25 अप्रैल 2017), शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरुकता जरूरी, https://www.jagaran.com